सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-1165/JH/24/2023-SSW

Dated: 10/07/2024

To,

डॉ विमल कुमार,
पुलिस अधीक्षक,
जिला – रामगढ (झारखंड) – 825101
(Email: sp-ramgarh@jhpolice.gov.in)
(Ph No. 06553-261401)

Sub: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी श्री अमेरिका मुंडा (चौकीदार, रजरप्पा थाना) को प्रशासन द्वारा मासिक भत्ता तथा अन्य रिटायरमेंट लाभ न देने के संबंध में - श्री बिजेन्द्र मुंडा, जिला - रामगढ़ का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.06.2024 at 11:30 AM in Hotel BNR, Chanakya, Ranchi on the above mentioned subject.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

Shri Bijendra Munda,
Parsotiya Munda Toli Ramgarh,
District - Ramgarh, (Jharkhand) - 829122,
(Email- kunjlalbabu@gmail.com) (Mobile No: 9693924433)

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री अमेरिका मुंडा, चौकीदार, थाना – रजरप्पा, जिला – रामगढ़ (झारखंड) को जिला प्रशासन द्वारा नौकरी से निकालने तथा मासिक भत्ता व पेंशन न दिये जाने के संबंध में - श्री बिजेन्द्र मुंडा, जिला रामगढ़ का अभ्यावेदन में उठाए गए बिन्दुओ पर, डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 11:30 बजे, होटल BNR चाणक्य, रांची में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल संख्या : NCST/SER-1165/JH/24/2023-SSW

बैठक की तिथि : 14.06.2024 को 11.30बजे

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक पर है; **स्थान:** होटल BNR चाणक्य, रांची।

श्री बिजेन्द्र मुंडा, जिला-रामगढ़ ने अपने अभ्यावेदन में बताया कि श्री अमेरिका मुंडा, चौकीदार, थाना – रजरप्पा, जिला – रामगढ़ (झारखंड) को 40 वर्षो से अधिक नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया, उन्हे न तो पेंशन और न तो मासिक भत्ता दिया जा रहा है। उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिससे उन्हे अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी कठिनाई हो रही है। अतः न्याय दिलाने का कष्ट करें।

आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 29.12.2023 द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला रामगढ़ को तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, परंतु उत्तर अप्राप्त रहा। अतः NCST ने इस प्रकरण पर दिनांक 14.06.2024 को 11:30 बजे, रांची में पुलिस अधीक्षक, जिला रामगढ़ और आवेदक के साथ चर्चा करने हेतु सिटिंग निश्चित जिसकी सूचना संबन्धित अधिकारी एवं आवेदक को समसंख्यक नोटिस एंव पत्र दिनांक 04.06.2024 द्वारा भेजी गयी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिला रामगढ़ एवं आवेदक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। आवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रशासन द्वारा श्री अमेरिका मुंडा को मासिक भत्ता एवं पेंशन दी जा रही है जिससे परिवार कि आर्थिक स्थिति दयनीय है। अतः समुचित कार्यवाई की जाए जिससे श्री अमेरिका मुंडा को न्याय मिल सके। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ ने प्रकरण में तथ्य तथा आख्या बतायी जो प्रतीतिकारक नहीं थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आयोग ने निम्न संस्तुतियाँ की तथा पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से आग्रह किया कि प्रकरण में की गयी / की जाने वाली कार्यवाई रिपोर्ट सिटिंग के 15 दिन के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें। इसके पश्चात, आयोग सुनिश्चित करेगा कि मामले में उपायुक्त, जिला रामगढ़ को भी अगली बैठक में बुलाया जाये।

1. चौकीदार पद के सेवा नियम की प्रति तथा संबन्धित विभाग, जिसके अंतर्गत वह आता है, का नाम बताएं।
2. पीड़ित कर्मचारी को 40 वर्षो से अधिक नौकरी करने के बाद, नौकरी से निकालने का क्या कारण था ?
3. यदि पीड़ित कर्मचारी की सेवा नियम में पेंशन और मासिक भत्ता का प्रावधान है, तो उसको अविलंब प्रदान किया जाये।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 14.06.2024 को 11:30 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी श्री अमेरिका मुंडा (चौकीदार, रजरप्पा थाना) को ड्यूटी के दौरान नौकरी से निकालने हेतु श्री बिजेन्द्र मुंडा, जिला - रामगढ़ के प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

I	**Superintendent of Police, District – Ramgarh**
	Dr. Bimal Kumar
II	**Petitioner**
	Shri Bijendra Munda